

NO : CBSE/2133590/SS-00510-2324/2023-24/

Dated: 07/06/2022

The Manager,
ZENITH PUBLIC SCHOOL
PIPRA URF TITLA, SUKRAULI BAZAAR, TEHSIL-HATA, KUSHINAGAR (U.P),
UTTAR PRADESH, GORAKHPUR, 273008
(M:)

SUBJECT: - UPGRADATION TO SENIOR SECONDARY LEVEL - REGARDING.

Ref: Application No.: - SS-00510-2324 DATED: 24/05/2022

Sir/Madam,

This is with reference to school application on the subject cited above. I am directed to convey the approval of the Board for Affiliation i.e Upgradation to Senior Secondary Level as per details given below :

Affiliation No used as User ID for both OASIS and LOC/Registration System	2133590
School No	71741
Affiliated for	Senior Secondary School Examination Class I to 12
Category	Upgradation of Affiliation
Period of affiliation	01.04.2022 to 31.03.2027
Year and Month From which admission can be taken in Class-IX/XI	1 April, 2022
Year and Month in which first batch of Class-X/XII will appear in board examinations	1 April, 2024

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

1. The approval is based upon the documents /data/information uploaded by the school online. The school will be responsible for its genuineness. In case of any discrepancies, necessary action will be initiated against the school as per Affiliation Bye -Laws-2018.
2. The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned.
3. The School is required to apply on online for extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws.
4. The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and subsequent amendment therein as well as circulars and guidelines /instructions issued by the Board time to time and keep a copy there of for reference purpose and is also advised to regularly visit CBSE websites i.e., <http://cbseacademic.nic.in/> & <http://cbse.nic.in/> for updates.
5. The school to renew mandatory certificates from time to time.
6. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity /activity related to running of school affiliated to CBSE. All legal expenses incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances, shall be borne by the school.

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर।

संख्या: मान्यता/ 578 /2021

पत्रांक: /शिविर/अस्थायी मान्यता/आरआरप्रॉ/ 560-61 /2021-22

दिनांक: 24.03, 2021

प्रबंधक,
जेनिथ पब्लिक स्कूल पिपरा उर्फ तितला
विकास खण्ड-सुकरीली,
जनपद-कुशीनगर।

विशय:-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए अस्थायी मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

नवीन शासनादेश संख्या-89/अरआर-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2019 एवं संशोधित शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 29 जून, 2020 में उल्लिखित निर्देशानुसार आपके आवेदन दिनांक: 16.03.2021 और इस सम्बन्ध में विद्यालय में पश्चात्पूर्ती/पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश/अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता सम्बन्धी मानकों एवं शर्तों के सम्बन्ध में प्राप्त निर्देश के अनुपालन में जेनिथ पब्लिक स्कूल पिपरा उर्फ तितला, विकास खण्ड-सुकरीली, जनपद-कुशीनगर को कक्षा-6 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम हेतु दिनांक 24 मार्च, 2021 से दिनांक 23 मार्च, 2022 तक (एक वर्ष) की अवधि के लिए औपबधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ। उक्त शासनादेश दिनांक 11 जनवरी, 2019 एवं दिनांक 29 जून, 2020 के अनुसार दिनांक 23 मार्च, 2022 (एक वर्ष) के पश्चात मान्यता से संबंधित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आरटी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पुरा किए जाने के अध्याधीन है:-

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संलग्नक-एक) और उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 (संलग्नक-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में कक्षा की संख्या के 25 प्रतिशत तक पाँस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश देना और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रतर यह वि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस संवियम का पालन किया जायेगा।
4. प्रस्तर तीन में संदर्भित बालकों के लिए विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा ऐसी प्रतिपूरिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यवित्त शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रक्रि के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का संबूत न होने पर तथा धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान उनमें से किसी आधार पर विद्याल प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा:-
 - ❖ प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या उसे विद्याल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - ❖ किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जाएगा।
 - ❖ प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - ❖ प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - ❖ अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन।
 - ❖ अध्यापकों की गर्ती अधिनियम की धारा-24 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और विद्यमान अध्यापक जिनके पाँस इन अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्ह अर्जित करेंगे।
8. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करना है: और
 - ❖ अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया-कलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।
9. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।